संख्याः 6/2021/235/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग   लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, 2021

विषयः- ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद की अवशेष बची 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-6698/ए-लेखा-आयोजनेत्तर मद-बजट/2020-21, दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,15,00,000/-के सापेक्ष अवशेष बची 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,07,50,000/-(रू0 एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0स0	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000/-
2	केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	07,50,000/-
	योगः- 1,07,50,000/- (रू0 एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र)	

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय≤ पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा समय≤ पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाशीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम- 03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये रू0 1,00,00,000/-तथा 0303-केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-07,50,000/''-के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-49/दस-2021, दिनांक 10 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।